



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 5500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 5500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत अभियोग- 38/99 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राजू सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी अमलीकौर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना मतौन्ध पर पंजीकृत अभियोग- 52/99 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त शिवसहाय पुत्र रामश्रय निवासी सया थाना भीटी जनपद अम्बेडकर नगर उ0प्र0 को 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।